न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2016

किकरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 9 एलपीएम (ए) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलांट

बनाम

1. डिप्टीसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी 22 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मुकन्दसिंह पुत्र कुण्डासिंह जाति जटसिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर –मृतक

2/1 आत्मासिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी 6 एलपीएन तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

2/2 जरनेलसिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी मुक्तसर जिला मुक्तसर पंजाब ।

2/3 जगनन्दनसिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

2/4 दर्शनसिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

2/5 अजायबसिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

2/6 बीकरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह निवासी भुल्लरांवाली (भुल्लरवाला) तहसील डबवाली पंजाब।

2/7 मुख्त्यारकौर पत्नी जगसीरसिंह पुत्री मुकन्दसिंह निवासी कन्दवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

3/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2/8 सुखपालकौर पत्नी अंगेजसिंह पुत्री मुकन्दसिंह निवासी 14 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/9 मलकीतकौर पत्नी बलदेवसिंह पुत्री मुकन्दसिंह निवासी 8 केएसडी तहसील रायसिहनगर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 28.07.2014

उपस्थितिः—

श्री रामगोपाल स्वामी , अभिभाषक अपीलांट।

श्री अमित स्वामी स्वामी अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :— 31.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88,92 ए व 188 का पेश कर चक 25 जैड के खाता संख्या 10/8 के मु.न. 20 पुराना 23 नया के कि.न. 25 का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष हेतु पेश किया । वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की नोटिस समाचार पत्र में साया करवाने के आदेश दिये गये एवं प्रतिवादीगण की विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.07.2014 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए प्रकरण रिमांड किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 28.07.14 के विरूद्ध दिनांक 23.12.15 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युतत्र मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.07.2014 के विरूद्ध हुई जिसमें रेस्पो. के पक्ष में एक पक्षीय डिक्री जारी हुई है जो सुनवाई का अवसर दिये बगैर जारी हुई है अतः निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका को पढ़ने से लगता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय सिद्धान्त Audialteram की पालना नहीं की है हो सकता है कि

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकियाए पूरी की हो परन्तु प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी.न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षें को सुनकर गुणावगुण के आधारों में तत्समय के अपखण्डन (fragment) के प्रावधानों का अध्ययन कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर